अनुदान संख्या 92 – सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
GRANT No. 92 - DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	10197,62,00	10297,15,00	7431,29,32	-2865,85,68
पूरक	Supplementary	99,53,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2874,62,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		370,00,00	95,00,00	-275,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				275,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचत (₹286585.68 लाख) जुलाई 2021, दिसम्बर, 2021 और मार्च 2022 मे प्राप्त ₹9953.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक थी ओर यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 28 प्रतिशत थी। अभ्यर्पित राशि (₹287462.00 लाख) भी कुल बचतों से अधिक थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹286585.68 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹9953.00 lakhs obtained in July, 2021, December, 2021 and March, 2022 and constituted 28 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (₹287462.00 lakhs) also exceeded the overall savings.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय–सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat - Social Services				
मू.	O.	6696.00	5518.33	5502.12	-16.21
पु.	R.	-1177.67			
मुख्य शीर्ष "2225" अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	Major Head "2225" Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities				
मू.	O.	134630.00			
पू.	S.	3.00	58843.92	59743.25	+899.33
पु.	R.	-75789.08			
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	60650.00			
पू.	S.	9948.00	27415.84	27413.89	-1.95
पु.	R.	-43182.16			
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	40002.00	..	..	..
पु.	R.	-40002.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	773070.00			
पू.	S.	1.00	649526.63	649523.58	-3.05
पु.	R.	-123544.37			
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	4710.00			
पू.	S.	1.00	944.28	943.25	-1.03
पु.	R.	-3766.72			

(I) ₹55027.00 लाख का प्रावधान पन्द्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹53102.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) मुख्य शीर्ष "2225" –

(क) "अनुसूचित जातियों का कल्याण – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटन योजना – वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (वीआईएसवीएएस) योजना" – ₹9800.00 लाख; और

(ख) "पिछड़े वर्गों का कल्याण – आर्थिक विकास – वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (वीआईएसवीएएस) योजना" – ₹4500.00 लाख

(I) Provision of ₹55027.00 lakhs remained wholly unutilised under fifteen heads; of these ₹53102.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(A) Major Head "2225" -

(a) "Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes - Vanchit Ikai Samooh Aur Vargon Ki Arthik Sahayata (VISVAS) Yojana" - ₹ 9800.00 lakhs; and

(b) "Welfare of Backward Classes - Economic Development -Vanchit Ikai Samooh Aur Vargon Ki Arthik Sahayata (VISVAS) Yojana"- ₹4500.00 lakhs.

उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान इस स्कीम के बंद होने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "समाज कल्याण – मद्यनिषेध" – ड्रग की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना" – ₹2600.00 लाख;

(ख) समाज कल्याण – सुधारात्मक सेवाएं – आजीविका और उद्यम हेतु वंचित व्यक्तियों के लिए सहायता (एसएमआईएलई) – ₹700.00 लाख

(ग) "समाज कल्याण – अन्य कार्यक्रम" – अटल वय अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई)– ₹3250.00 लाख; और

(घ) "पिछड़े वर्गों का कल्याण – शिक्षा" –

(i) "ओबीसी और ईबीसी के लिए यंग अचीवर्स स्कीम के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृति" – ₹1300.00 लाख।

उपर्यक्त चार शीर्षों के अतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(ii) "ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए प्रधानमंत्री जीवंत भारत हेतु युवा सफल व्यक्ति छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना (पीएम वाईएएसएएसवीआई)" – ₹15500.00 लाख; और

(ङ) "अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशेष संघटक योजना – अनुसूचित जातियों के विकास की स्कीम" – ₹14752.00 लाख।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to dis-continuation of the scheme.

(B) Major Head "2552" –

(a) "Social Welfare - Prohibition-National Action Plan for Drug Demand Reduction"- ₹2600.00 lakhs;

(b) "Social Welfare - Correctional Services- Support for Marginalized Individuals for Livelihood & Enterprise (SMILE)" – ₹700.00 lakhs;

(c) "Social Welfare - Other Programmes – Atal Vayo Abhyuday Yojana (AVYAY)" ₹3250.00 lakhs; and

(d) "Welfare of Backward Classes - Education"

(i) "Scholarships for Higher Education for Young Achievers Scheme (SHREYAS) for OBCs and EBCs" - ₹1300.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilized due to non-receipt of proposals from North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) for OBCs, EBCs and DNTs" - ₹15500.00 lakhs; and

(e) "Special Component Plan for Scheduled Castes-Scheme for Development of Scheduled Castes" - ₹14752.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा– अन्य संवेदनशील समूहों (पिछड़े वर्गों और दिव्यांगजनों सहित)" के अंतर्गत – ₹700.00 लाख–एनजीओ से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा एकल नोडल खाता के कार्यान्वयन में विलंब के कारण।

(C) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share -Umbrella Programme for Development of Other Vulnerable Groups (including Backward Classes and Differently Abled Persons)" - ₹700.00 lakhs - due to receipt of less proposals from NGOs and delay in implementation of Single Nodal Account by Union Territory Governments.

(II) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण – वयोवृद्ध, अशक्त और निराश्रित का कल्याण – अटल वय अभ्युदय योजना (एवीआईएवाई)" के अंतर्गत – ₹29250.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹9948.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹39198.00 लाख किया गया। तथापि, ₹23148.43 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – कम प्रस्तावों के प्राप्त होने और कम प्रशासनिक खर्चों के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2235" - "Social Welfare-Welfare of Aged, Infirm and Destitute – Atal Vayo Abhyuday Yojana (AVYAY)" - the original provision of ₹29250.00 lakhs was augmented to ₹39198.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹9948.00 lakhs. However, there was a saving of ₹23148.43 lakhs (including supplementary grant) – due to receipt of less proposals and less administrative expenses.

(III) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय" – के अंतर्गत ₹1193.88 लाख की बचत (₹6696.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान के चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2251" - "Secretariat-Ministry of Social Justice and Empowerment" - saving of ₹1193.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6696.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) मुख्य शीर्ष "2225" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(IV) Under Major Head "2225" – savings occurred under the following heads: -

(का) "अनुसूचित जातियों का कल्याण" – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना"

(A) "Welfare of Scheduled Castes" – "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(क) "मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्तियां" – ₹2829.28 लाख की बचत (₹4100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्तावों की प्राप्ति नहीं होने और कम प्रशासनिक खर्चों के कारण हुई।

(ख) "हाथ से मैला ढोने वालों (मेहतरों) के पुनर्वास के लिए स्वारोजगार स्कीम" – ₹5899.89 लाख की बचत (₹9800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ग) "डा. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र" – ₹1032.00 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत आवेदकों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने और कम प्रशासनिक खर्चों के कारण हुई।

(घ) "सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन के लिए तंत्र को सुदृढ़ करना" – ₹543.21 लाख की बचत (₹700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रशासनिक खर्चों की प्राप्ति के कारण थी।

(ङ) "अनुसूचित जातियों के लिए यंग अचीवर्स स्कीम हेतु उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (एसएचआरईवाईएएस)" – ₹16979.20 लाख की बचत (₹44100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वृत्ति के लिए अनुमोदन वर्ष के बिल्कुल अंत में प्राप्त होने के कारण हुई।

(च) "प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम एजेएवाई)" – ₹3187.87 लाख की बचत (₹3800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(a) "Post Matric Scholarships" - saving of ₹2829.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4100.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from Union Territories and less administrative expenses.

(b) "Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers" - saving of ₹5899.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9800.00 lakhs); and

(c) "Dr. Ambedkar International Centre" - saving of ₹1032.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from applicants and less administrative expenses.

(d) "Strengthening of Machinery for Enforcement of Protection of Civil Right Act 1955 and Prevention of Atrocities Act 1989" - saving of ₹543.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700.00 lakhs) was due to less administrative expenses.

(e) "Scholarships for Higher Education for Young Achievers Scheme (SHREYAS) for SCs" - saving of ₹16979.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹44100.00 lakhs) was due to receipt of approval for stipends at the fag end of the year.

(f) "Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana (PM AJAY)" - saving of ₹3187.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3800.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the implementing agencies.

(छ) "अनुसूचित जातियों के लिए लक्षित क्षेत्र में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा स्कीम (एसआरईएसएचटीए)" – ₹15795.97 लाख की बचत (₹19600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम में संशोधन और कम प्रशासनिक खर्चों के कारण थी।

(ज) "अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति" – ₹1157.36 लाख की बचत (₹1175.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने और कम प्रशासनिक खर्चों के कारण थी।

(झ) "प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम दक्ष) योजना" – ₹2559.00 लाख की बचत (₹5880.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवेदकों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "पिछड़े वर्गों का कल्याण" –

(क) "आर्थिक विकास – डीएनटी/एनटी/एसएनटी का आर्थिक सशक्तिकरण स्कीम (एसईईडी)" – ₹4479.20 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना के देरी से शुरू होने और कम प्रशासनिक खर्चों के कारण थी।

(ख) "शिक्षा"

(i) "ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए जीवंत भारत के लिए प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम (पीएम वाईएएसएएसवीआई)" – ₹1947.46 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2151.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रशासनिक और व्यावसायिक खर्चों के कारण हुई।

(g) "Scheme of Residential Education for Students in High School in Targeted Area (SRESHTA) for SCs" - saving of ₹15795.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19600.00 lakhs) was due to revision of the scheme and less administrative expenses.

(h) "Pre Matric Scholarship for SCs and Others" - saving of ₹1157.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1175.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from Union Territory Goverments and less administrative expenses.

(i) "Pradhan Mantri Dakshta Aur Kushalta Sampann Hitgrahi (PM DAKSH) Yojana" - saving of ₹2559.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5880.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from applicants.

(B) "Welfare of Backward Classes" –

(a) "Economic Development - Scheme for Economic Empowerment of DNT/NT/SNTs (SEED)" - saving of ₹4479.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was due to late launching of the scheme and less administrative expenses.

(b) "Education" -

(i) "PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) for OBCs, EBCs and DNTs" - saving of ₹1947.46 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2151.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to less administrative and professional expenses.

(ii) "ओबीसी और ईबीसी के लिए यंग अचीवर्स हेतु उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना" – ₹3475.00 लाख की बचत (₹11700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छात्रवृत्ति हेतु कम मांग और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमानों के चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(गा) "सामान्य – निदेशन और प्रशासन – राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग" – ₹793.40 लाख की बचत (₹2700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दौर किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमानों के चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "मद्य निषेध – राष्ट्रीय मादक द्रव्य की मांग में कमी हेतु कार्य योजना (एनएपीडीडीआर)" – ₹11513.07 लाख की बचत (₹20600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गैर–सरकारी संगठनों से कम प्रस्तावों के पास होने और कम प्रशासनिक खर्चों के कारण हुई।

(खा) "सुधारात्मक सेवाएं" –

(क) "राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान" – ₹1700.00 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "अधिकारहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम हेतु सहायता (एसएमआईएलई)" – ₹6104.73 लाख की बचत (₹6300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के देरी से शुरू होने की वजह से प्रस्ताव प्राप्त न होने और कम प्रशासनिक खर्चों के कारण हुई।

(ii) "Scholarships for Higher Education for Young Achievers Scheme (SHREYAS) for OBCs and EBCs" - saving of ₹3475.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11700.00 lakhs) was due to less demand for scholarship by the University Grants Commission and less administrative expenses.

(C) "General"- Direction and Administration - National Commission for Scheduled Castes" - saving of ₹793.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2700.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(V) Under Major Head "2235" – "Social Welfare"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Prohibition - National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR)" - saving of ₹11513.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20600.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from NGOs and less administrative expenses.

(B) "Correctional Services" –

(a) "National Institute of Social Defence" - saving of ₹1700.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the Institute.

(b) "Support for Marginalized Individuals for Livelihood & Enterprise (SMILE)" - saving of ₹6104.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6300.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals owing to late launching of the scheme and less administrative expenses.

(गा) "अन्य कार्यक्रम – सूचना, मॉनीटरिंग मूल्यांकन सामाजिक लेखापरीक्षा" – ₹717.88 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रशासनिक खर्चों के कारण हुई।

(C) "Other Programmes - Information, Monitoring Evaluation and Social Audit" - saving of ₹717.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to less administrative expenses.

(VI) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं–

(VI) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" – savings occurred under the following heads:-

(का) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा–अन्य संवेदनशील समूहों के विकास के लिए अम्बरेला कार्यक्रम (पिछड़े वर्ग और दिव्यांगजन सहित)" – ₹5152.28 लाख की बचत (₹6100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा एकल नोडल लेखा प्रक्रिया के कार्यान्वयन में विलंब के कारण हुई।

(A) "Central Assistance/Share - Umbrella Programme for Development of Other Vulnerable Groups (including Backward Classes and Differently Abled Persons) " - saving of ₹5152.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6100.00 lakhs) was due to delay in implementation of Single Nodal Account procedure by State Governments.

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम" – ₹135605.50 लाख की बचत (₹631020.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड महामारी की वजह से राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और राज्य सरकारों द्वारा एकल नोडल लेखा प्रक्रिया के कार्यान्वयन में विलंब के कारण हुई।

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Umbrella Scheme for Development of Scheduled Castes" - saving of ₹135605.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹631020.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the State Governments for scholarship owing to COVID-19 pandemic and delay in implementation of Single Nodal Account procedure by State Governments.

(VII) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अधीन हुईः–

(VII) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads: -

(का) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए जीवंत भारत हेतु प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कालरशिप अवार्ड स्कीम" – ₹924.03 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1401.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(A) "Central Assistance/Share - PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) for OBCs, EBCs and DNTs" - saving of ₹924.03 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1401.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक – अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम" – ₹2143.72 लाख की बचत (₹2610.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Umbrella Scheme for Development of Scheduled Castes" - saving of ₹2143.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2610.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत कोविड–19 महामारी की वजह से छात्रवृत्ति हेतु संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा एकल नोडल लेखा के कार्यान्वयन में विलंब के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from the Union Territory Governments for scholarship owing to COVID-19 pandemic and delay in implementation of Single Nodal Account by Union Territory Governments.

(VIII) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹736.00 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में 250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत और 45 प्रतिशत थीं।

(VIII) Under two heads savings of ₹736.00 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 24 percent and 45 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹18211.88 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2.(I) The above savings were partly (₹18211.88 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2225" – "अनुसूचित जातियों का कल्याण – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – बाबा साहेब डा. बी. आर. अम्बेडकर फाउंडेशन" – ₹1000.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹999.00 लाख हुआ।

(A) Major Head "2225" - "Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes - Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar Foundation" - ₹1000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹999.00 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए जीवंत भारत हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कालरशिप अवार्ड स्कीम" – ₹17211.88 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹17210.36 लाख था।

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes – Central Assistance/Share - PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) for OBCs, EBCs and DNTs" - ₹17211.88 lakhs. Actual excess, however, was ₹17210.36 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head: -

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष मुख्य शीर्ष "4225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अलपसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Head Major Head "4225" Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities					
मू.	O.	36600.00				
				9500.00	9500.00	..
पु.	R.	-27100.00				

(I) ₹10400.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से अकेले ₹10000.00 लाख मुख्य शीर्ष "4225" – "सामान्य – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय वित्त विकास निगम" – निगम की प्राधिकृत हिस्सा पूंजी में वृद्धि न करने के कारण अकेले लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹10400.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these ₹10000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4225" - "General - Investments in Public Sector and other Undertakings - National Finance Development Corporation for Weaker Sections" - due to non-enhancement of authorized share capital of the corporation.

(II) मुख्य शीर्ष "4225" – "अनुसूचित जातियों का कल्याण – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक" –के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(II) Under Major Head "4225"- "Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes"- savings occurred under the following heads:-

(का) "कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय वित्त विकास निगम" – ₹14500.00 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निगम की प्राधिकृत हिस्सा पूंजी में वृद्धि न होने के कारण थी।

(A) "National Finance Development Corporation for Weaker Sections" - saving of ₹14500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs) was due to non-enhancement of authorised share capital of the corporation.

(खा) "अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजी निधि" – ₹2800.00 लाख की बचत (₹9800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण थीं।

(B) "Venture Capital Fund for SCs and OBCs" - saving of ₹2800.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9800.00 lakhs) was due to requirement of less funds by Industrial Finance Corporation of India.